न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

अशर्फी शर्मा

वनाम

विश्वनाथ शर्मा

वाद संख्या–02/2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

08.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा बोराम थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा

खाता	खेसरा	रकवा	चौहददी
124 नया	337 पु0	04 डि0	उ0–मुख्य सड़क
	400/1	01 ड0	द0–अशर्फी शर्मा
	408		पु0–शड़क गढ़ा
			प0–गणेश शर्मा

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी के पिता के द्वारा सर्वे कैम्प कोर्ट में आपत्ति संख्या 68 दिनांक 24.08.1988 ई0 को सर्वे कैम्प कोर्ट में अपने आवास से निकलने के लिए आपत्ति दर्ज करवाये जिसका सर्वे अमीन के द्वारा जॉच करवाया गया तथा जॉच के बाद आवेदक वादी के आने जाने वाले रास्ता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नया खेसरा 400, 401, 408 तथा 409 के पश्चिम के भाग से 1–1 डि0 जमीन को वादी एवं अन्य के रास्ता के उपयोग के लिए आदेश पारित किया गया जिसके आदेश की छायाप्रति संलग्न है। वादी के उपयोग में जो जमीन नया सर्वे के द्वारा दिया गया उक्त जमीन को विपक्षीगण खेसरा नं0–408 के उपर वर्तमान रास्ता को बन्द करने के लिए अपने जमीन को बदलैनामा कर रास्ता को बन्द करना चाहते है जबकि दिनांक 24.08.1988 ई0 को आदेश को दरकिनार करते हुए वादी के रास्ता के उपयोग की जमीन को अधिकार विहिन बनाना चाहते है। विवाद का कारण है

कि दिनांक 04.03.2013 को विपक्षी वादी को धमकी दिया कि रास्ता की जमीन तथा खेसरा 408 के रकवा पर विवाद कर रास्ता तथा वादी के हक को नष्ट कर रहे है।

वही दुसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि विवादित भूमि पुराना खेसरा 337 प्रतिवादी खतियान पैतृक सम्पत्ति है जिसका पुराना खतियान प्रतिवादी के पुर्वज भातु बढ़ई पे0 शतन बढ़ई के नाम से दर्ज है। नया खेसरा 408 जो की पुराना खेसरा 337 से बना है उक्त नया खेसरा 408 का हाल सर्वे खतियान प्रतिवादी संख्या 9 के पिता कारी शर्मा के नाम से खुला हैं। वादी का कथन है की इसके पिता के द्वारा सर्वे कैम्प कोर्ट में आपत्ति संख्या 68 दिनांक 24.08.88 ई0 दायर किये के संबंध में प्रतिवादी का कहना है की उक्त वाद पत्र के उक्त आपत्ति प्रतिवादीगण के विरूध सर्वे कैम्प कोर्ट में नही दाखित की गई थी अनावाद सर्व साधारण वाली भूमि पर वादी के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 04 छ के तहत दायर किये जाने का कोई औचित्य नही बनता है अनावाद सर्व साधारण वाली भूमि पर वादी ने उपरोक्त धारा के तहत अधिकार प्रख्यापित करने का अनुतोष की मॉग सर्वथा अनुचित होगा।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि खेसरा 400/1 एवं 408 पर अधिकार के प्रख्यापन की मॉग की गई है एवं साक्ष्य स्वरूप सर्वे कैम्प कोर्ट में आपत्ति संख्या 68 दिनांक 24.08.1988 के आदेश की प्रति संलग्न की गई है। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खेसरा 400, 401, 408, एवं 409 सभी के पश्चिम से 1–1 डि0 काटकर एक बटट्ा नम्बर 400/1 बनाया गया है जो किस्म रास्ता अनावाद सर्व साधारण है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर वादी का अधिकार नहीं बनता है अतः वादी के दावा को खारिज किया जाता है रास्ता खेसरा 400/1 में है जिसमें खेसरा 408 के पश्चिम से 01 डि0 भी सम्मलित है एवं जो अनावाद सर्व साधारण भूमि है जहॉ तक रास्ता अवरूध करने की बात है अंचलाधिकारी घनश्यामपुर को निर्देश दिया जाता है कि उक्त अनावाद सर्व साधारण की भूमि पर कोई रास्ता को अवरूध करता है तो नियमानुसार उचित कारवाई करें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

08.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

08.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल